राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए

निर्वाचन अधिकारी और महासचिव, लोक सभा का कार्यालय

प्रेस विज्ञप्ति

(16.06.2017)

जैसा कि आप सभी को विदित है भारत निर्वाचन आयोग ने लोक सभा के महासचिव को राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। आयोग ने राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम भी निर्धारित किया है :-

(क) 28 जून, 2017 - नामांकन की अंतिम तिथि;

(ख) 29 जून, 2017 - नामांकनों के जांच की तिथि;

(ग) 01 जुलाई, 2017 - नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि;

(घ) 17 जुलाई, 2017 - निर्वाचन की तिथि, यदि आवश्यकता हुई तो, और

(ङ) 20 जुलाई, 2017 - मतगणना की तिथि, यदि आवश्यकता हुई तो।

2. नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि दिनांक 14 जून, 2017, बुधवार से ही शुरू हो चुकी है। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए फॉर्म निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय कमरा संख्या-18, भू-तल, संसद भवन, नई दिल्ली में उपलब्ध है। नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा निर्वाचन अधिकारी को उनके कार्यालय में या यदि निर्वाचन अधिकारी किसी अपरिहार्य कारणवश अनुपस्थित है, तो उक्त कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारियों, श्री रविन्द्र गरिमेल्ला, संयुक्त सचिव और श्री विनय कुमार मोहन, निदेशक के पास पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाश अर्थात दिनांक 18, 24 और 25 जून, 2017 और 26 जून, 2017, चाँद दिखाई देने के अध्यधीन, को छोड़कर) जमा कराये जा सकते हैं परंतु 28 जून, 2017

को अपराह्न 3.00 बजे के बाद नहीं जमा कराये जा सकेंगे। प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार जिस संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की सत्यापित प्रति और पन्द्रह हजार रूपये मात्र की जमानत राशि जमा करानी होगी। यह धनराशि नामांकन पत्र जमा करते समय निर्वाचन अधिकारी के पास नकद या भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा करायी जा सकती है और बाद वाले मामले में उक्त धनराशि के जमा करने की रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न की जानी होगी।

3. अधिनियम की धारा 5ख की उप-धारा (4) के अंतर्गत खारिज किए गए नामांकन पत्रों के अलावा अन्य नामांकन पत्रों की जांच कमरा संख्या 18, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में स्थित निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में 29 जून, 2017 को पूर्वाह्न 11 बजे की जाएगी। किसी उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवारी वापस लेने का नोटिस उम्मीदवार द्वारा स्वयं या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किए गए प्रस्तावकों या अनुमोदकों द्वारा शनिवार, 1 जुलाई 2017 को अपराह्न 3 बजे से पूर्व निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में लिखित रूप में जमा किया जाना चाहिए। निर्वाचन होने की स्थिति में, यह निर्वाचन आयोग द्वारा सूचित स्थानों पर पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे के बीच सोमवार, 17 जुलाई, 2017 को आयोजित किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो मतगणना गुरुवार, 20 जुलाई 2017 को की जाएगी।

4. चुनाव संबंधी मामलों के संबंध में किसी जानकारी अर्थात दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की संख्या, तत्संबंधी विवरण, इत्यादि के लिए निर्वाचन अधिकारी से उनके कार्यालय (कमरा संख्या 18, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली) में सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिवसों को अपराह्न 3.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे के बीच संपर्क किया जा सकता है।